


तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.55/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए
12.5.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी मुश्तकीन मंशुरी पुत्र बच्चू भाई मंशुरी, निवासी- रेजीडेन्सी सोसायटी, सर्वे नं. 108, हिम्मतनगर, जिला- सांभरकाठा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रबन्धक, फर्म फूड इन रेस्टोरेन्ट एण्ड फास्ट फूड, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 08.2.2022 को फर्म फूड इन रेस्टोरेन्ट एण्ड फास्ट फूड, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही में प्रतिवादी मुश्तकीन मंशुरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-1667 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./447/Act/2022/436 दिनांक 23.2.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी मुश्तकीन मंसूरी ने इस न्यायालय में दिनांक 08.5.2023 को जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी प्रदीप कुमार मेघवाल द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 08.2.2022 को फर्म फूड इन रेस्टोरेन्ट एण्ड फास्ट फूड, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता व प्रबन्धक मुश्तकीन मंसूरी पुत्र बच्चू भाई मंशुरी, निवासी- रेजीडेन्सी सोसायटी, सर्वे नं. 108, हिम्मतनगर, जिला- सांभरकाठा (गुजरात) से फर्म फूड इन रेस्टोरेन्ट एण्ड फास्ट फूड, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू में फ्रीज में रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 2.5 किलोग्राम में से एक किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1667</p> <p>.....लगातार</p>	



डि. वि. पब्लिशिंग  
सिरौही-307001.



<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.55/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./447/Act/2022/436 दिनांक 23.2.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मुश्तकीन मंसूरी ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर के विक्रय हेतु प्रतिवादी मुश्तकीन मंसूरी पुत्र बच्चू भाई मंसूरी, निवासी- रेजीडेन्सी सोसायटी, सर्वे नं. 108, हिम्मतनगर, जिला- सांभरकांठा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रबन्धक, फर्म फूड इन रेस्टोरेन्ट एण्ड फास्ट फूड, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी मुस्तकीन मंसूरी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12.6.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">         (के.आर. खौड़)        जज, जिला मजिस्ट्रेट        सिरोही-307001.     </p>	

